



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2019—श्रावण 18, शक 1941

भाग ४

विषय—सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन | (3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अंतिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2019

क्र.—एफ—३—२६—२०१९—तेरह— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 105 के साथ पठित धारा 180 की उप—धारा (1) तथा उक्त धारा की उप—धारा (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शब्दों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ।-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;

(ग) “वित्तीय वर्ष” से अभिप्रेत है, प्रत्येक वर्ष मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने वाली निरन्तर बारह कैलेंडर महीनों की कालावधि;

(घ) “पूर्व वित्तीय वर्ष” से अभिप्रेत है, चालू वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व का वित्तीय वर्ष;

(ङ.) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

(2) अन्य सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना।-

(1) आयोग, प्रत्येक वर्ष पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए उसके कियाकलापों के संक्षिप्त विवरण से युक्त उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट इन नियमों से संलग्न—अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में बनायी जायेगी।

4. वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना।-

उपरोक्त नियम 3 के अधीन तैयार वार्षिक रिपोर्ट, आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक अग्रेषित की जायेगी।

5. कठिनाईयों का दूर किया जाना।-

यदि इन नियमों के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो अधिनियम और इन नियमों से असंगत न हों।

अनुसूची
(नियम-3 देखिए)
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

1. आयोग की बनावट।
2. कार्यकारी संक्षिप्त विवरण।
3. वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण।
4. वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों की मुख्य बातें।
5. वित्तीय वर्ष के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित हैं।
6. वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की कुल संख्या।
7. वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण कियाविधि की कार्य पद्धति।
8. राज्य परामर्शदात्री समिति एवं उसकी बैठकों की तारीखें।

No. F-3-26/2019/XIII: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 180 and clause (i) of sub-section (2) of the said section read with section 105 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Annual Report) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003);
 - (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under sub-section (1) of section 82 of the Act;
 - (c) "Financial year" means a period of consecutive twelve calendar months ending on the 31st day of March every year;

- (d) "Previous financial year" means the financial year immediately preceding the current financial year;
 - (e) "Schedule" means Schedule appended to these rules.
- (2) All other words and expressions used in these rules but not defined specifically, but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Preparation of Annual Report.-

- (1) The Commission shall prepare each year, its annual report containing the summary of its activities carried out during the previous financial year.
- (2) The Annual Report shall be prepared in the form specified in the Schedule appended to these rules.

4. Submission of Annual Report.-

The Annual Report prepared under rule 3 above, shall be forwarded by the Commission to the State Government by 30th November every year.

5. Removal of Difficulty.-

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these rules, the State Government may, by order make such provision not inconsistent with the provision of the Act and these rules, for removing the difficulty.

SCHEDULE
(See Rule - 3)

**FORM OF ANNUAL REPORT OF THE MADHYA PRADESH
ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

1. The Composition of the Commission.
2. Executive Summary.
3. Summary of Tariff orders issued during the Financial Year.
4. Highlights of Retail Supply Tariff Orders issued during the Financial Year.
5. Regulations issued during the Financial Year including Amendments / Addendums to existing Regulation.
6. Total number of petition received and disposed off during the Financial Year.
7. Functioning of the Electricity Consumers grievance redressal mechanism during the Financial Year.
8. State Advisory Committee and the dates of meetings thereof.

क्र.-एफ-3-26-2019-तेरह:- विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 106 के साथ पठित धारा 180 की उप-धारा (1) तथा उक्त धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (बजट) नियम, 2019 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ।-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
 - (ख) “उपाबंध” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध;
 - (ग) “आयोग” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित मध्यप्रदेश विद्युत् नियमक आयोग;
 - (घ) “वित्तीय वर्ष” से अभिप्रेत है, प्रत्येक वर्ष मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने वाली निरंतर बारह कैलेंडर महीनों की अवधि;
 - (ङ.) “पूर्व वित्तीय वर्ष” से अभिप्रेत है, चालू वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व का वित्तीय वर्ष।
 - (च) “आगामी वित्तीय वर्ष” से अभिप्रेत है, वर्तमान वित्तीय वर्ष से ठीक अगला वित्तीय वर्ष।
- (2) अन्य सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में कमशः उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. बजट का तैयार किया जाना।-

- (1) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा, जिसमें आयोग की प्राक्कलित प्राप्तियां एवं व्यय दर्शित होंगे।
- (2) बजट, इन नियमों से संलग्न उपाबंध—एक तथा उपाबंध—दो में विहित प्रस्तुपों में तैयार किया जाएगा।

4. बजट का प्रस्तुत किया जाना।-

उपरोक्त नियम 3 के अधीन अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया गया बजट आयोग द्वारा 15 मार्च तक राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

5. कठिनाई का दूर किया जाना।-

यदि इन नियमों के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो अधिनियम और इन नियमों से असंगत न हो।

उपावंध 1

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय का पुनरीक्षित प्राक्कलन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यय का बजट प्राक्कलन							
पिछले वित्तीय वर्ष के विभागीय लेखे (रकम रूपयों में)	राज्य सरकार/अन्य द्वारा अनुदान (रकम रूपयों में)	स्वीकृत बजट प्राक्कलन चालू वित्तीय वर्ष (रकम रूपयों में)	चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी तक वार्ताविक व्यय (रकम रूपयों में)	शेष बजट (3-4) (रकम रूपयों में)	चालू वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन (रकम रूपयों में)	लेखा शीर्ष	अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन (रकम रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
						आयोग का वेतन	
						आधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन	
						मानदेय	
						एल टी सी (अवकाश यात्रा रियायतें)	
						चिकित्सा प्रतिपूर्ति	
						यात्रा भत्ता (घरेलू) / (विदेशी)	
						वाहन	
						वाहनों का रखरखाव	
						पी.ओ.एल. (ऐट्रोल ऑयल तथा लुब्रिकेंट्स)	
						कार्यालय उपकरण एवं मशीनरी	
						कार्यालय उपकरण एवं मशीनरी का रखरखाव	
						फर्नीचर एवं फिक्स्चर	
						फर्नीचर एवं फिक्स्चर का रखरखाव	
						कार्यालय भवन	
						कार्यालय भवन का रखरखाव	
						पुस्तकें एवं प्रकाशन	
						समाचार पत्र एवं सामयिक पत्र	
						वर्दियाँ (कर्मचारीवृद्धि के लिए वर्दियाँ)	

उपाबंध 2

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चालू वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित प्राक्कलन और
अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन

पिछले वित्तीय वर्ष के विभागीय लेखे (रकम रूपयों में)	राज्य सरकार/ अन्य द्वारा अनुदान (रकम रूपयों में)	चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित राजस्व प्राप्तियों (रकम रूपयों में)	चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी .. तक वास्तविक राजस्व प्राप्तियों (रकम रूपयों में)	शेष राजस्व प्राप्तियों (3-4) (रकम रूपयों में)	चालू वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित राजस्व प्राप्तियों प्राक्कलन (रकम रूपयों में)	लेखा शीर्ष	अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों का प्राक्कलन (रकम रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
						याचिका फीस	
						अनुज्ञाति फीस	
						विविध प्राप्तियाँ	
						प्रमाणित प्रति फीस	
						बैंक से ब्याज	
						वाहन किराया	
						विविध कटौतियाँ	
						अनुदान	
						निविदाओं का विक्रय	
						पुराने स्कैप/ समाचार पत्रों का विक्रय	
						कुल	

No. F-3- 26/2019/XIII: In exercise of the powers conferred on it by the sub-section (1) of section 180 and clause (j) of sub-section (2) of the said section read with of section 106 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Budget) Rules, 2019.
- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);
 - (b) "Annexure" means Annexure appended to these rules;
 - (c) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under sub-section (1) of section 82 of the Act;
 - (d) "Financial year" means a period of consecutive twelve calendar months ending on the 31st day of March every year;

- (e) "Previous financial year" means the financial year immediately preceding the current financial year;
 - (f) "Next financial year" means the financial year immediately succeeding the current financial year;
- (2) All other words and expressions used in these rules but not defined specifically, but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Preparation of Budget.-

- (1) The Commission shall prepare each financial year, its budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Commission.
- (2) The Budget shall be prepared in the forms prescribed in Annexure I and Annexure II appended to these rules.

4. Submission of Budget.-

The Budget prepared for the next Financial Year shall be forwarded by the Commission to the State Government by 15th March every year.

5. Removal of Difficulty.-

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these rules, the State Government may, by order make such provision not inconsistent with the provision of the Act and these rules, for removing the difficulty.

Annexure 1

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Revised Estimate of expenditure for Current Financial Year and

Budget Estimates of expenditure for Next Financial Year							
Departmental Accounts of Previous Financial Year (Amount in Rupees)	Grant-in-aid by State Govt./Others (Amount in Rupees)	Sanctioned Budget Estimate for Current FY (Amount in Rupees)	Actual Expenditure till February - Current Financial Year (Amount in Rupees)	Balance Budget (Amount in Rupees)	Revised Budget Estimates for Current Financial Year, (Amount in Rupees)	Accounts Head	Budget Estimates for Next Financial Year (Amount in Rupees)
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pay of Commission	
						Pay of Officers & Employees	
						Honorarium	
						LTC (Leave Travel	
						Medical Reimbursement	
						T.A (Domestic)/(Foreign)	
						Vehicles	
						Maintenance of vehicles	
						P.O.L (Petrol, Oil & Lubricants)	
						Office Equipment & Machinery	
						Maintenance of Office Equipments & Machinery	
						Furniture and Fixtures	
						Maintenance of Furniture & Fixtures	
						Office Building	Maintenance of Office Building
						Books & Publications	
						News Paper & Periodicals	
						Literies (Uniform to Staff)	

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Revised Estimate of expenditure for Current Financial Year and

Annexure - 2

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,BHOPAL								
Revised Estimate of Revenue For Current Financial Year and Budget Estimate of Revenue for Next Financial Year								
Departmental Accounts	Grant-in-aid by State Govt./Others	Estimated Revenue Receipts	Actual Receipts till February----of Current Financial Year	Receipts till February For Current Financial Year	Estimated Revenue Receipts (3-4)	Revised Revenue Receipts for Current Year	Heads of Account	Estimate of Revenue Receipts for Next Financial Year (Amount in Rupees)
1	2	3	4	5	6	7	8	
							Petition Fee	
							License Fee	
							Misc Receipts	
							Certified Copying Fee	
							Interest from Banks	
							Vehicle Rent	
							Misc. Deduction	
							Grant-in-Aid	
							Sale of Tenders	
							Sale of Old Scraps/Newspapers	
							TOTAL	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव,